कार्यालय रजिस्टार,सहकारी समितियॅा,राजस्थान जयपुर ।

क्रमांक फा.1(121)सविरा/प्रोसे/02/II/के.पाटन दिनांक– 10-3-10

आदेश

सहकारी विभाग के समसंख्यक आदेश दि. 29.6.09 के द्वारा सहकारी संस्थाओं यथा केशोरायपाटन सह.शुगर मिल लि0 बून्दी, श्रीगंगानगर कोटन कोम्पलेक्स, स्पिनफैड जयपुर एंव तिलन संघ के कर्मचारियों को चिकित्सा एंव स्वास्थ्य, पंचायतीराज, सहकारिता विभाग एंव अन्य संस्थाओं मे विपरीत प्रतिनियुक्ति पर लगाया हुआ है, इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि 31.3.2010 तक बढाई गई थी इस अवधि में वित्त विभाग द्वारा 31.3.11तक वृद्धि किये जाने की सहमति प्रदान की गई है।विपरीत प्रतिनियुक्ति पर लगे कर्मचारियों के सबंधित विभाग/संस्थाएं यह सुनिश्चित कर लेवें कि वित्त विभाग द्वारा जारी नवीनतम परिपत्र क.प.1(2)वित्त/नियम /03/ पार्ट–1 जयपुर दिनांक 3.2.10 (प्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशानुसार कर्मचारियों के वेतन से सी.पी.एफ. के अंशदान की कटौती एंव नियोक्ता का अंशदान नियमित रूप से सबंधित लेखो में जमा करवाने हेतु पैतृक संस्था को भिजवाया गया है/जा रहा है।

उक्त की सहमति वित्त विभाग के आई.डी.न. 101000880 दि. 24.2.10 द्वारा दी जा चुकी है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

रजिस्ट्रार

राजस्थान–सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण सेवायें, राज0 जयपुर ।

क्रमांकःई–12/एम/के.पा.(14पार्ट II)/2010/261 दिनांकः– 30-3-10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर ।
2– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज0 जयपुर ।
3– उप शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य (ग्रुप–3)विभाग, राज0जयपुर ।
4– उप शासन सचिव, वित्त(नियम)विभाग, राज0 जयपुर ।
5– रजिस्ट्रार, सहकारी समितिया, राज0 जयपुर ।
6– वितीय सलाहकार, मुख्यालय ।
7– समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राज0 ।
8– समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज0 ।
9– अवसायक, केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल एंव संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितिया, कोटा ।
10-प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय, क0नं0 302 को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपडेट करें ।

अति0 निदेशक(प्रशा0)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राज0जयपुर ।

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.1(2)वित्त/नियम/2003 पार्ट–I   जयपुर, दिनांक : 3 - FEB 2010

परिपत्र

विषय :– राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों / बोर्ड इत्यादि से राज्य सरकार के विभागों में विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) हेतु सामान्य शर्तें एवं निर्देश।

राजकीय सार्वजनिक उपक्रमों/ मण्डलों/ स्थानीय निकायों/ पंजीकृत संस्थाओं आदि के कर्मचारियों को राजकीय विभागों में विभिन्न पदों पर विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) पर लेने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश परिपत्र संख्या प.1(2)वित्त/नियम/2003 पार्ट–I दिनांक 17.02.2007 के द्वारा जारी किये गये हैं। इन आदेशों के अनुसार किसी भी कर्मचारी को वित्त (नियम) विभाग की पूर्व स्वीकृति के उपरान्त ही राजकीय विभागों में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकता है।

विपरीत प्रतिनियुक्ति के दौरान ऐसे कर्मचारियों के वेतन से पैतृक संस्थान के नियमों के अनुसार वसूली योग्य राशि वेतन से काटी जानी होती है। कार्मिक का सीपीएफ अंशदान एवं नियोक्ता का अंशदान नियमित रूप से पैतृक संस्था को भेजा जाना आवश्यक है।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कई विभागों द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों/ मण्डलों/स्थानीय निकायों/ पंजीकृत संस्थाओं आदि के कर्मचारियों को राजकीय विभागों में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है, परन्तु पैतृक विभाग के नियमों के अनुसार वसूली योग्य राशि, सीपीएफ अंशदान एवं नियोक्ता का अंशदान नियमित रूप से वेतन से कटौती कर पैतृक संस्थान को नहीं भेजा गया है/ भेजा जा रहा है।

विपरीत प्रतिनियुक्ति पर राजकीय विभागों में कार्यरत उक्त संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन से राज्य बीमा, जीपीएफ, आरपीएमएफ एवं राज्य कर्मचारियों से किये जाने वाली अन्य कटौतियां नहीं की जानी है।

अतः सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि अपने विभाग में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के प्रकरणों का निश्चित रूप से पुनरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि ऐसे कर्मचारियों के वेतन से सीपीएफ अंशदान कटौती एवं नियोक्ता का अंशदान नियमित रूप से नियोक्ता को संबंधित लेखों में जमा करवाने हेतु भिजवाया जा रहा है। यदि किसी प्रकरण में अभी तक सीपीएफ की कटौती एवं नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी के पैतृक संस्थान को नहीं भेजा गया है/भेजा जा रहा है तो तुरन्त भेजा जावे एवं विपरीत प्रतिनियुक्ति की अवधि के सभी प्रकरणों में उक्त कटौती की जाकर नियमों की पालना सुनिश्चित की जावे।

अनुपालना नहीं किये जाने पर संबंधित लेखा सेवा के कर्मचारी/अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

(सी.के. मैथ्यू)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

———— (2)

D:Rules/Jaan/Order-23.doc